तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1216/2006/उदयपुर** **भंवरलाल बनाम उंकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री खेमराज डांगी, अभिभाषक प्रार्थीगण।

श्री पन्नालाल, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 19–12–2023

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, मावली जिला उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11, आदेश 2 नियम 2 सीपीसी, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी को अस्वीकार किया है।

2– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि का सक्षम न्यायालय द्वारा बंटवारा सन् 1978 में हो गया, जिसकी कार्यवाही तहसीलदार के यहां चली, जिसके मुरब्बा नंबर 99/78 है व तहसीलदार के आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 386 स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा बंटवारे का वाद पुनः इसी आराजीयात बाबत् नहीं लाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 जाप्ता दिवानी के प्रार्थना–पत्र को खारिज करने में भूल की है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान में नहीं रखा है, जबकि अप्रार्थीगण के जवाब में यह स्वीकार किया है कि तहसीलदार के मुरब्बा नंबर 99/78 की कार्यवाही सक्षम न्यायालय के अन्तर्गत हुई कार्यवाही नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16–12–2005 निरस्त किया जाकर प्रार्थी/निगराकार का प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 जाप्ता दिवानी स्वीकार वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1216/2006/उदयपुर** **भंवरलाल बनाम उंकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4— अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एंव रिकार्ड के अनुरूप है । अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया है कि यह निगरानी अंतरिम आदेश के विरूद्व पेश की गई है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें। 5— हमने अभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। 6— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित है, जो मूलतः इस प्रकार है— **11. Rejection of plaint.** The plaint shall be rejected in the following cases- **(a)** where it does not disclose a cause of action; **(b)** where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so; **(c)** where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so; **(d)** where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law **(e)** where it is not filed in duplicate (f) where the plaintiff fails to comply with the provision of rule 9 **Provided** that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature form correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff उक्त प्रावधानों के तहत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता में वाद पत्र का नामंजूर किए जाने के जो कारण अंकित किए गए हैं, उसमें वाद हेतुक प्रकट नहीं होना, अनुतोष का मूल्यांकन कम किए जाना एवं अपर्याप्त स्टॉम्प पर होने व दावा विधि द्वारा वर्जित होना एवं दो प्रतियों में दाखिल नहीं करने का अंकित किया है । किन्तु इस प्रकरण में प्रार्थना—पत्र में जो आधार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1216/2006/उदयपुर** **भंवरलाल बनाम उंकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लिए गए हैं, वे प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किए जाने हेतु पर्याप्त नहीं है। वाद की पोषणीयता के संबंध में वाद के अभिवचनों पर ही विचार करना अपेक्षित होता है। वाद पत्र में कथित तथ्यों से वाद–पत्र खारिज करने का मामला नहीं बनता है । 7. हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 का प्रकरण विचाराधीन है । प्रकरण के विचाराधीन रहते प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में एक वाद द्वारा बंटवारा किया जाकर नामान्तरकरण दर्ज किया जा चुका है। इसलिए यह वाद धारा 11 सीपीसी के तहत रेसज्यूडिकेटा की तारीफ में आता है जो नहीं चल सकता । इसके अतिरिक्त विवादित आराजी 2455 का गलत अंकन किया है। यह जमीन आबादी की है एवं आबादी की जमीन होने से यह वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। अतः वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जावे । उक्त प्रार्थना–पत्र का अप्रार्थी जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई डिक्री जारी नहीं हुई । नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही होती है, जिसे नियमित वाद के तहत चुनौती दी जा सकती है। विवादित आराजी बाबत किसी भी प्रकार का वाद पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया है । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रकरण में देरीना करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है । धारा 11 के तहत वाद पत्र बिना वादोत्तर तथा बिना विवाद्यक के खारिज नहीं किया जा सकता है । विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 17–12–2005 द्वारा सभी तथ्यों की जांच एवं परीक्षण कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया है वाद पत्र में वर्णित तथ्यों और अभिकथनों से बाहर जाकर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत किसी वाद को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वाद विधि से वर्जित है। यदि किसी अन्य बिन्दुओं के विनिश्चयन हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर, प्रतिवाद–पत्र अथवा प्रार्थना–पत्र में वर्णित अतिरिक्त कथनों को पढ़ना पड़े अथवा अन्य दस्तावेजात का अवलम्बन लेना पड़े तो ऐसे मामले में दावा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज नहीं किया जा सकता है । हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि रिसीवरी में है एवं मूल दावे में इसका निस्तारण किया जाना है इसी तथ्य को	

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
निगरानी/टीए/1216/2006/उदयपुर
भंवरलाल बनाम उंकार</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td></td><td>ध्यान में रखकर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया है ।

इस संबंध में आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 78 पर माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि–

“ Civil Procedure Code, 1908- Order 7 Rule 11 – While Deciding the application under Order 7 Rule 11 only averments made in the plaint can be taken into consideration-When from the plaint it cannot be inferred that suit is barred by law or does not disclose cause of action Application rightly rejected.”

इस संबंध में आर.आर.टी. 2018(1) पृष्ठ 642 पर यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि–

“Code of Civil Procedure, 1908-Order 7, Rule 11 & Sec.151 Rejection of plaint-Application rejected -Suit for cancellation of sale deed, declaration & possession -1/4 th Share of father of the plaintiff’s respondent No 3 & it is an ancestral land-Application filed at the stage of defence evidence -Trial Court has already framed the issue No.9 regarding jurisdiction of the Court -Relief seeking declaration of sale deed void without cancellation, can be granted by the Revenue Court -Relief of cancellation of voidable document can be granted by the Civil Court & suit would no be barred u/Sec 207 of the Rajasthan Tenancy Act -Held No illegality in the order & upheld.”

इस संबंध में ए.आई.आर. 2019(1) पृष्ठ 43 में यह अभिमत प्रतिपादित किया है–

“Code of Civil Procedure, 1908-Order 7, Rule 11-Suit for declaring the sale deed null and void-Suit relates to agricultural land-Contention that the suit was barred u/sec 207 of Rajasthan Tenancy Act &it was triable by the Revenue Court-application rejected-Suit was barred u/sec 207-Order rejecting application is erroneous &set aside & the Trail Court is directed to return the plaint for presentation before the Revenue Court.”

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वाद में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना–पत्र खारिज का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत है। वाद का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना उचित है। निगरानी का क्षेत्र सीमित होता है। हस्तगत निगरानी धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जो इस प्रकार है–

230- Power of the Board to call for cases- The Board</td><td></td></tr>
</table>

may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-

(a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or

(b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or

(c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity.

Board may pass such orders in the cases as it thinks fit.

उक्त धारा में यह प्रावधित किया है कि जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता संबंधी या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि की जाती है तो पुनरीक्षण किया जा सकता है। जब उपलब्ध सभी उपचार समाप्त हो जावे, तभी पुनरीक्षण किया जा सकता है। इसमें केवल यही देखना होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है या प्रक्रिया के पालन में त्रुटियां की है। उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से यहॉ सहायक नहीं है । अतः निगरानी निरस्त योग्य है ।

8. उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य